नगर पंचायत करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2012 से 31.03.2018

भाग-एक

1 **(क) प्रारम्भिक: –**

हिमाचल प्रदेश सरकार, शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या: LSG-A(9)-20/84 शिमला-2 दिनांक 31.3.2012 द्वारा ग्राम पंचायत करसोग को भंग करके नगर पंचायत का दर्जा दिया गया। ग्यारवें वित आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) मे संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: 1-376/81-फिन(एल.ए.) खण्ड-IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत करसोग, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.2012 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण कार्य किया गया ।

अंकेक्षण अवधि 01.04.2012 से 31.03.2018 के दौरान नगर पंचायत करसोग मे प्रधान व सचिव के पद पर निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत रहे:-

(i) प्रधान

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री के.के. शर्मा (एस.डी.एम)	01.04.2012 से 30-01-2013 तक
2	श्री सुदेश कुमार मोकता (एस.डी.एम)	31.01.2013 से 21.04.2013 तक
3	श्री विवेक चौहान (एस.डी.एम)	22-04-2013 से 12-06-2017 तक
4	श्री के.सी.गौर (एस.डी.एम)	20-06-2017 से 26-08-2017 तक
5	श्री हितेश आजाद (एस.डी.एम)	28-08-2017 से 22-01-2018 तक
6	श्री अपूरव देवगन (एस.डी.एम)	22-01-2018 से 31-03-2018 तक

(ii) सचिव

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री सचिन कुमार (तहसीलदार)	01-04-2012 से 25-04-2013 तक
2	श्री एस.एल. नेगी (तहसीलदार)	14-05-2013 से 16-08-2014 तक
3	श्री जे.एस. नेगी(तहसीलदार)	03-09-2014 से 24-10-2016 तक

4	श्री रविन्दर सिंह् बोद्ध (तहसीलदार)	30-11-2016 से 31-03-2018 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

नगर पंचायत करसोग के अवधि 01.04.2012 से 31.03.2018 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है : -

क्रम सं0	अनियमितताओं का सार	पैरा सं0	राशि (₹) (लाखों में)
1	सावधि के जमा की परिपक्कता पर अर्जित ब्याज से स्त्रौत पर काटे गए आयकर का रिफ़ंड प्राप्त न करना	5(iii)	2.10
2	अनुदानों की राशि उपयोग हेतु शेष	6(ख)	214.51
3	गृहकर का निर्धारण व वसूली न करना	7	गृहकर का निर्धारण व वसूली नहीं की गई है
4	निर्माण कार्यों बिलों से स्त्रोत पर काटे गए आयकर,बिक्री कर व लेबर सेस को सम्बन्धित विभागों में जमा न करवाना	11	2.79

भाग - 2

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर पंचायत करसोग के अवधि 01.04.2012 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों मे समाविष्ट है, श्री मोहिंद्र कुमार, सहायक नियंत्रक व श्री शिव कुमार क॰ले॰प॰ द्वारा अवधि 15.10.2018 से 26.10.2018 तक के दौरान नगर पंचायत करसोग के कार्यालय मे किया गया। विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 11/2014, 04/2015, 03/2017 व 06/2017 तथा व्यय के लिए माह 02/2015, 06/2015, 03/2017 व 07/2017 के लेखाओं का चयन किया गया।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव नगर पंचायत द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अंकेक्षण मे प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने की स्थिति मे इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर पंचायत करसोग के अवधि 01.04.2012 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹11900 आँका गया है। सचिव नगर पंचायत करसोग से सहायक नियंत्रक, लेखा परीक्षा की अधियाचना संख्या: फिन(एल ए) मंडी -10/18- 230 दिनांक 26.11.2018 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति

नगर पंचायत करसोग के लेखाओं अवधि 01.04.2012 से 31.03.2018 तक की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-(क)** पर भी दिया गया है : –

Year	Opening balance (₹)	Income (₹)	Interest (₹)	Grants (₹)	Total (₹)	Expenditure (₹)	Closing balance (₹)
2012-13	0	0	23284	2715413	2738697	0	2738697
2013-14	2738697	0	150519	1650000	4539216	0	4539216
2014-15	4539216	35094	199108	4611860	9385278	2003183	7382095
2015-16	7382095	23500	162859	7698785	15267239	3058741	12208498
2016-17	12208498	95235	411912	8345287	21060932	3309908	17751024
2017-18	17751024	786920	454425	9839498	28831867	5038093	23793774

Bank Reconcilation Statement as on 31.03.18

Particulars	Amount (₹)
Balance as per cash book/Financial Position	23793774
Balance as per Pass book/FDR (AS per detail given below)	24956985
Difference	1163211
Reasons for difference	
Interest on F.D.R’S not taken in cash book (AS per detail given below)	1163211

(i) बैंक समाधान विवरणी अनुसार रोकड़ बही व बैंक खातों के शेष में दिनांक 31.3.18 को ₹1163211 का अन्तर था तथा रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि यह अन्तर नगर पंचायत निधि से अवधि 1.4.2012 से 31.3.18 के दौरान निम्न

विवरणानुसार सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर अर्जित ब्याज का था जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई थी I अतः वर्णित ब्याज राशि की रोकड़ बही में प्रविष्टि करके मिलान किया जाए तथा भविष्य में रोकड़ बही में एफडीआर की स्थिति को ब्याज सहित ही दर्शाना जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

Sr.No.	**FDR No. & A/C No.**	**Invested Amt. (₹)**	**Date of Investment/ Reinvestment**	**Maturity Value/Re-investment (₹)**	**Interest Account/Received (₹)**
1	18535 (PNB)	2000000	28.11.14	2060406	60406
		2060406	28.05.15	2124734	64328
		2124734	28.11.15	2184613	59879
		2184613	28.05.16	246182	61569
		2246182	28.11.16	2311987	65805
		23119877	28.05.17	2387737	75750
2	18544 (PNB)	2000000	28.11.14	2060406	60406
		2060406	28.05.15	2124734	64328
		2124734	28.11.15	2184613	59879
		2184613	28.05.16	2246182	61569
		2246182	28.11.16	2311987	65805
		2311987	28.05.17	2387737	75750
3	18553 (PNB)	2000000	28.11.14	2060406	60406
		2060406	28.05.15	2124734	64328
		2124734	28.11.15	2184613	59879
		2184613	28.05.16	2246182	61569
		2246182	28.11.16	2311987	65805
		2311987	28.05.17	2387737	75750
				Total	**1163211**

Detail of bank Balances as on 31.3.18

Sr.No.	**Name of Bank**	**Amt. (₹)**

1	SBI-57672	10905598
2	SBI-31575	841608
3	PNB-70897	1046568
4	FDR'S	12163211
	Total	**24956985**

5 निवेश

(i) नगर पंचायत द्वारा दिनाँक 31.03.2018 तक ₹12163211 सावधि जमा मे निवेशित थे जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट –(ख)** मे दर्शाया गया है। अतः सावधि जमा को नियत समय पर भुनाने/पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(ii) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत के बचत खातों मे दिनांक 31.3.18 को ₹12793774 की बड़ी रकम अनुपयोग शेष जमा थी तथा जिस पर नाम मात्र ही साधारण ब्याज अर्जित हो रहा था । अत: परामर्श दिया जाता है कि पंचायत की वितीय स्थिति को सदृढ़ करने के उद्देश्य हेतु नगर पंचायत की आवश्यकताओं को ध्यान मे रखते हुए कुशल वितीय प्रंबधन से आधिक्य शेष जमा राशियों को सावधिक जमा मे निवेशित किया जाए ताकि पंचायत की विकास गतिविधियों को प्रभावित किए बिना ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित हो सके ।

(iii) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि बैंक द्वारा सावधिक जमा परिपक्वता पर अर्जित ब्याज राशि से ₹209715 स्त्रोत पर आयकर की कटौती की गई थी जिस का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** पर दिया गया है । चूँकि नगर पंचायत की आय आयकर अधिनियम की धरा 10 के अन्तर्गत कर मुक्त है, इसलिए स्त्रोत पर आयकर की उक्त कटौती अनियमित है । अतः स्त्रोत पर काटे गए आयकर का वापस प्राप्त करने हेतु नियमानुसार मामला बैंक से या आयकर विभाग से उठाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6 अनुदान

(क) वितीय स्थिति :– नगर पंचायत करसोग को अंकेक्षण अवधि 01.04.2012 से 31.03.2018 तक के दौरान विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त अनुदानो की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है । जिसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट –(घ)** मे भी दिया गया है :–

Year	Opening balance (₹)	Receipt (₹)	Total (₹)	Expenditure (₹)	Closing balance (₹)
2012-13	0	2715413	2715413	0	2715413
2013-14	2715413	1650000	4365413	0	4365413
2014-15	4365413	4611860	8977273	2003183	6974090
2015-16	6974090	7698785	14672875	3058741	11614134
2016-17	11614134	8345287	19959421	3309908	16649513
2017-18	16649513	9839498	26489011	5038093	21450918

(ख) अनुदान की राशि ₹214.51 लाख उपयोग हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट "घ"** द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद को विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त अनुदानों की राशि मे से दिनांक 31.3.2018 को ₹21450918 उपयोग हेतु शेष थे, जबकि अनुदानों से संबन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ निश्चित अवधि के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अत: अनुपयोग अनुदान राशियों को समयबद्ध उपयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इन्हें अब सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उदेशयों हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा इन राशियों का प्रत्यार्पण संबन्धित विभाग को किया जाए व अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) अनुदानों की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना

अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान राशियों में से निम्न विवरणानुसार विभिन्न विभागों के पास निक्षेप निर्माण कार्य निष्पादन हेतु ₹7395662 की राशि जमा करवाई गई थी जिसके उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.3.18 तक प्राप्त नहीं किए गए थे I अतः वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

माह	विभाग का नाम	राशि (₹)
10/14	अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग करसोग।	1000000
01/15	खण्ड विकास अधिकारी करसोग।	100000

01/17	अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग करसोग।	1524647
03/17	अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग करसोग।	372473
07/17	सहायक अभियंता विधुत विभाग करसोग।	4054180
08/17	खण्ड विकास अधिकारी करसोग।	344362
	योग	**7395662**

7 गृहकर का निर्धारण व वसूली न करना

अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा गृहकरदाताओं से अंकेक्षण अवधि के दौरान गृह कर की कोई वसूली नहीं की गई थी जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा गृहकर का निर्धारण करके देय गृहकर की बकाया राशि सहित वसूली नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 व 89 मे दिये गए प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित की जाए, ताकि नगर पंचायत के विकास कार्य सुचारु रूप से निष्पादित किए जा सके और कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8 दुकानों के किराये का बकाया ₹0 . 18 लाख वसूली हेतु शेष

किराया माँग व संग्रह रजिस्टरों के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31-03-2018 तक दुकानों के किराए की बकाया राशि ₹18000 की वसूली की जानी शेष थी जिस का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–ड़** मे दर्शाया गया है। परिषद द्वारा मासिक किराये की देय राशि नियमित रूप से प्राप्त करने हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जोकि अत्यंत चिन्ता का विषय है। अत: मासिक किराये की राशि नियमित रूप से वसूल न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

9 सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से बचने (Avoid) हेतु एक ही निर्माण कार्य को छोटे गुणकों में विभाजित करके कार्यन्वित करवाना

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माहों के दौरान भुगतान किये गए निर्माण कार्यों बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों को छोटे छोटे गुणकों में विभाजित करके अलग -2 आंकलन व टेण्डर करवाने उपरान्त सविदाकारों से निष्पादित करवाया

गया था जबकि नियमानुसार इन निर्माण कार्यों का एक ही शीर्ष होने के कारण सम्पूर्ण निर्माण कार्य का एक ही आंकलन व संविदा (Tender) तैयार करके निष्पादित करवाया जाना चाहिए था और नगर पंचायत द्वारा ऐसा न करने के कारण प्रतीत होता है कि सक्षम अधिकारी की आवश्यक स्वीकृतियों से बचने (Avoid) हेतु व संविदाकारों को अनुचित लाभ पहुचाने हेतू ही इन निर्माण कार्यों का छोटे गुणकों में विभाजन किया गया है जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे अब उच्च सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

क्रम सं0	**कार्य का विवरण व सविन्दाकार का नाम**	**वाउचर सं व माह**	**कुल भुगतान (₹)**	**कार्य आबंटन पत्र सं**	**आबंटित राशि (₹)**
1	C/O DRAIN & P/F GRATING FROM REST HOUSE TOWARD BIMLA KHAD PHASE-1 SH. SURESH SHARMA	20 02/2015	224570	N.P./WORKS/07-33-DT- 28.11.2014	283049
2	C/O DRAIN & P/F GRATING FROM REST HOUSE TOWARD BIMLA KHAD PHASE - 2 SH. SURESH SHARMA	21 02/2015	140567	N.P./WORKS/07-29-DT- 28.11.2014	182000
3	P/F GRATING WORK FROM PNB TOWARD PAWAN STUDIO PHASE – 1 SH. NEELAM KUMAR	22 02/2015	72464	N.P./WORKS/07-86-DT- 17.01.2015	87900
4	P/F GRATING WORK FROM PNB TOWARD PAWAN STUDIO PHASE – 2 SH. NEELAM KUMAR	23 02/2015	71464	N.P./WORKS/07-87-DT- 17.01.2015	87900

10 चयनित माह के विभिन्न निर्माण कार्यों बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों की माप पुस्तिका में निर्माण कार्यों में उपयोग स्टील खपत की प्रविष्टियों का विस्तृत

परिमाप दर्शाने की अपेक्षा एक मुश्त मात्रा दर्शाई गई थी जिसके अभाव में वास्तविक निष्पादित मात्रा के अनुरूप कुल स्टील खपत के भार की पुष्टि अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी।

क्रम सं	**कार्य का विवरण व सविन्दाकार का नाम**	**मात्रा (मी0)**	**फेक्टर**	**कुल भार (कि0ग्रा0)**	**टिप्पणी**
1	C/o Drain from hospital road to kotukikhad PH-3 MB 1 P-30	641.7	0.89	571.11	स्टील का परिमाप दर्ज नहीं था
2	P/F grating from Krishna complex towards Parveen steel fabrication MB 1 P-64,71	235.75	4.70	1108.20	स्टील का परिमाप दर्ज नहीं था
3	R/O road & path from walia house towards sharli road MB I P 74,75	191.91 349.91	2.10 1.55	403.01 542.36	स्टील का परिमाप दर्ज नहीं था

अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए माप पुस्तिका में अपेक्षित स्टील उपयोग के परिमाप का विस्तृत विवरण दर्ज करके सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाए I

11 निर्माण कार्य बिलों से स्त्रोत पर काटे गए आयकर, बिक्रीकर व श्रमकर ₹2.79 लाख की राशि को सम्बन्धित विभागों में जमा न करवाना

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के बिलों की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा संविदाकारों के विभिन्न निर्माण कार्यों बिलों से **परिशिष्ट "च"** में वर्णित विवरणानुसार ₹278681 के आयकर, बिक्री कर व वर्कर्स वैलफेयर सेस की कटौती की गई थी, परन्तु उक्त राशि को संबन्धित विभागों मे अंकेक्षण तिथि तक जमा नहीं करवाया गया था और न ही कटौती राशि की प्रविष्टि रोकड़ बही में की गई थी जबकि नियमानुसार इस राशि की प्रविष्टियाँ रोकड़ वही में दर्ज करने उपरान्त संबन्धित विभागों मे तुरंत जमा की जानी अपेक्षित है। अत: वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए कटौती राशि को सम्बन्धित विभागों में तुरन्त जमा करवाया जाए तथा भविष्य में निश्चित समयावधि के भीतर ही कटौती राशि

सम्बन्धित विभागों में जमा करवाई जानी भी सुनिश्चित की जाए ताकि नगर पंचायत को किसी दण्ड प्रभार (penality) के कारण हानि न उठानी पड़े I

12 यात्रा भत्ता दावा ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान

वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin (C)B (7)-1/2009 Dated 19.06.12 के पैरा-4 (5) के अनुसार यात्रा के दौरान व्यतीत किए गए समय के लिए साधारण दर पर दैनिक भत्ता देय है। चयनित माह के यात्रा भत्ता बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्न कर्मचारियों को यात्रा भत्ते दावों में उपरोक्त नियम के विपरीत उच्च दर से दैनिक भत्ता प्रदान करने के कारण ₹442 का अधिक भुगतान व रेस्ट हाउस में ठहरने हेतु 960 का अनियमित भुगतान किया गया था जिसका विवरण **परिशिष्ट-(छ)(i)(ii)** मे भी दिया गया है I अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि में जमा करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए : –

13 बिजली उपकर व शराब उपकर की प्राप्ति का उचित अभिलेख का अनुरक्षण न करना

क्र .सं.	**कर्मचारी का नाम**	**वाउचर संख्या**	**यात्रा भत्ता दावे की अवधि**	**भुगतान की गई राशि (₹)**	**देय भुगतान (₹)**	**अधिक भुगतान की गई राशि (₹)**
1	श्री राजेश कुमार (कनिष्ठ अभियन्ता)	25 दिनांक 27.02.2015	10/2014 से 02/2015	6850	5776	1074
2	श्री हिमेष पाल (कनिष्ठ सहायक)	27 दिनांक 27.02.2015	10/2014से 02/2015	5480	5152	328
					योग	**1402**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत को वितीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 में शराब उपकर के रूप में ₹248756 प्राप्त हुए थे किन्तु पंचायत द्वारा बिजली व शराब उपकर के मांग व प्राप्तियों के अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया था जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अवधि 1.4.2012 से 31.3.2018 तक कुल कितनी राशि देय थी कितनी राशि प्राप्त हुई है, तथा अभी तक संबधित विभागों से वसूली हेतु कितनी राशि बकाया थी । अत: अपेक्षित अभिलेख का अनुरक्षण न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख का अनुरक्षण सुनिश्चित करने के अतिरिक्त अवधि 1.4.2012 से

31.3.2018 के बिजली उपकर व अवधि 1.4.2012 से 31.3.15 के शराब उपकर को सम्बन्धित विभाग से वसूल किया जाए तथा कृत कारवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 नगर पंचायत के गठन की अधिसूचना के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत से प्राप्त संपति व अन्य अभिलेख का ब्यौरा अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद पंचायत से प्राप्त सम्पतियों का ब्यौरा संपति रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है जिस का औचित्य स्पष्ट करते हुए ग्राम पंचायत से प्राप्त संपति व अन्य अभिलेख की नगर पंचायत के अभिलेख में गणना करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापित करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

15 नगर पंचायत द्वारा नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख का रख रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा नियमानुसार अपेक्षित निम्नलिखित अभिलेखों का रख- रखाब नहीं किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित अभिलेखों का नगर पालिका अधिनियम के अनुसार रख-रखाव करना सुनिश्चित किये जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

(i) G-8 issue Register

(ii) Advance Register

(iii) FDR Register

(iv) Electricity & Telephone Register

(v) Mobile Tower Fee Register

(vi) House Tax & Rent D&C Register

(vii) T.A check Register

(viii) Grant Register

16 **लघु आपति विवरणिका :** यह अलग से जारी नहीं की गई तथा सभी लघु आपतियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था I

17 **निष्कर्ष :** नगर पंचायत के लेखों मे सुधार की नितान्त आवश्यकता है I

हस्ता / –
(हेम राज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.
फोन नं0 0177–26020881

पृष्ठांकन संख्याःफिन(एल0ए0) एच (2)सी–15(V) 109 /2018 – खण्ड–1-2138-2139 दिनांकः 08.03.2019 शिमला–171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा संख्याः 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत : 2 कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत करसोग, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता / –
(हेम राज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.
फोन नं0 0177–26020881